494

प्रदेश में राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु दिनांक–4–07–2015 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थिति :–

1	श्री डी0एस0 गर्ब्याल, सचिव राजस्व।
2	श्री दीपक कुमार, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी।
3	श्री एन0के0 जोशी, सलाहकार राजस्व परिषद।
4	श्री महेश चन्द्र, अपर सचिव न्याय ।
5	श्री ए0एस0 चौहान, अपर सचिव, वित्त।
6	श्री जे0पी0 जोशी, अपर सचिव, राजस्व।
7	श्री बी0डी0 तिवारी, अपर जिलाधिकारी पौडी।
8	श्री गंगा प्रसाद, वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद।
9	श्री गिरीश गुणवंत, स्टाफ ऑफिसर, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद।
10	डॉ सुषमा गेरौला ,वरिष्ठ वैज्ञानिक यू–सैक।
11	श्री मदन मोहन, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0

सर्वप्रथम राजस्व सचिव/सदस्य संयोजक द्वारा उपस्थित सदस्यों एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों का स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा NLRMP योजना की पृष्ठभूमि, भारत सरकार के निदेशा–निर्देशों, योजना के उद्देश्य, विभिन्न अवयवों (Components) में केन्द्रांश एवं राज्यांश तथा अब तक की गयी कार्यवाही पर प्रकाश डाला। योजना के सुविधापूर्ण, सुचारू संचालन एवं समयबद्ध अनुश्रवण के लिये शासी निकाय का पुनर्गठन कर अपेक्षाकृत व्यावहारिक एवं सक्रिय बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में गहन विचार विमर्श के उपरान्त शासी निकाय को निम्नवत् पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया :–

1	अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड	उपाध्यक्ष एवं सदस्य, संयोजक
3	सचिव, राजस्व	सदस्य
4	सचिव, वित्त	सदस्य
5	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
6	आयुक्त गढ़वाल/ कुमाँऊ मण्डल	सदस्य
7	निदेशक यू–सैक	सदस्य
8	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी	सदस्य
9	जिलाधिकारी अल्मोड़ा, पौड़ी एवं देहरादून	विशेष आमंत्रित सदस्य
10	अपर सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य

उपरोक्त शासी निकाय की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

(कार्यवाही–राजस्व विभाग)

2. NLRMP की <u>कार्यकारी समिति</u> को निम्नानुसार पुनर्गठित किये जाने पर सहमति प्रदान की गई :–

1	आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2	स्टाफ ऑफिसर, राजस्व परिषद	सदस्य संयोजक
3	महनिरीक्षक निबन्धन	सदस्य
4	अपर सचिव, राजस्व	सदस्य
5	अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी	सदस्य
6	अपर सचिव, वित्त	सदस्य
7	वित्त नियंत्रक, राजस्व परिषद	सदस्य
8	तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0	सदस्य
9	वैज्ञानिक श्रेणी–सी व प्रभारी लैण्ड यूज (यू0सैक)	सदस्य
10	योजना हेतु चयनित जनपदों के अपर जिलाधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य

(कार्यवाही–राजस्व विभाग)

3. यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार गठित शासी निकाय की बैठक प्रत्येक माह में एक बार अवश्य आहूत की जायेगी। शासी निकाय द्वारा राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु किये गये कार्यों की समीक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश समीक्षा एवं प्रगति के दृष्टिगत प्रदान किये जायेंगे, जिसे कार्यकारी समिति द्वारा P.I.U (Project Implementing Unit) के माध्यम से क्रियान्वित किया जायेगा। शासी निकाय द्वारा चयनित जनपदों के जिलाधिकारी से वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से गहन विचार–विमर्श एवं उक्त योजना की अद्यतन प्रगति समीक्षा तथा समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

(कार्यवाही–राजस्व परिषद)

4. राजस्व परिषद कार्यालय में स्थित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग हाल को समस्त जनपदों से सम्पर्क स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित किया जायेगा, जिसका निरीक्षण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर किया जायेगा तथा प्रदेश के समस्त जनपदों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे सम्पर्क स्थापित कर राजस्व परिषद के वीडियो कॉन्फ्रेसिंग कक्ष से संयोजित किया जायेगा। उक्त कक्ष का कार्य पूर्ण होने पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद को यथासमय अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाही–सूचना प्रौद्योगिकी)

5. कार्यकारी समिति द्वारा प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की जायेगी तथा कार्यक्रम की प्रगति तथा योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो रही कठिनाईयों एवं प्रगति से मा0 अध्यक्ष, शासी निकाय NLRMP को अवगत कराया जायेगा।

(कार्यवाही–स्टाफ ऑफिसर / राजस्व परिषद)

6. राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण योजना के सफल संचालन हेतु राजस्व परिषद में एक P.I.U (Project Implementing Unit) का गठन किया जायेगा, जिससे परियोजना का संचालन एवं अवस्थापना का कार्य किया जायेगा। बैठक में P.I.U का गठन निम्न प्रकार किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी :–

1. स्टाफ आफिसर, अध्यक्ष राजस्व परिषद / परियोजना निदेशक
2. तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0
3. GIS एवं Remote Sensing से सम्बन्धित दो विशेषज्ञ (नियतकालीन संविदा पर)
4. 02 कम्प्यूटर प्रोग्रामर
5. 01 प्रोग्रामर कम लेखाकार Telly विशेषज्ञता के साथ
6. 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर
7. 02 मल्टी टास्क वर्कर

7. P.I.U हेतु तकनीकी विशेषज्ञ कम्प्यूटर प्रोग्रामार, MTV तथा अन्य की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति गठित की गयी है, जिसमें निम्नवत् प्राधिकारी होंगे :–

1. अपर सचिव वित्त
2. अपर सचिव राजस्व
3. स्टाफ आफिसर अध्यक्ष, राजस्व परिषद
4. वित्त नियंत्रक राजस्व परिषद
5. तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0

8. उक्त समिति नियमानुसार P.I.U हेतु आवश्यक विशेषज्ञों एवं स्टाफ की नियुक्ति एवं कार्यालय को सुसज्जित कर सुदृढ़ कार्य संस्कृति विकसित करेगी।

(कार्यवाही–राजस्व परिषद)

9. बैठक में इस बिन्दु पर भी सहमति व्यक्त की गई कि जब तक राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर का निर्माण पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो जाता है, तब तक NLRMP योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार राजस्व परिषद के उपलब्ध कक्ष में NLRMP योजना हेतु राज्य स्तरीय डाटा सेन्टर का नितान्त अस्थाई रूप से स्थापित किया जायेगा, जिसका समय–समय पर निरीक्षण सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही–राजस्व परिषद)

10. बैठक में उपस्थित सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा यह अवगत कराया गया कि यू–सैक, जो कि उत्तराखण्ड राज्य सूचना प्रौद्योगिकी का ही एक प्रतिष्ठित अंग है, से भी प्रश्नगत योजना में उनकी सहभागिता एवं सहयोग को भी सम्मिलित किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह आदेश दिये गये कि पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कुछ ग्रामों की Digitization के जिम्मेदारी दी जाये। बैठक में इस बिन्दु पर भी सहमति व्यक्त करते हूए P.I.U के माध्यम से देहरादून जनपद के दो स्थानों पर ग्रामों के समूह का चयन करते हुए Digitization हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। इस हेतु अतिरिक्त फण्ड की व्यवस्था राज्य सरकार के माध्यम से भी आवश्यकतानुसार समय–समय पर की जा सकती है। (कार्यवाही–सचिव / राजस्व परिषद)

11. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी आदेश दिये गये कि उक्त योजना प्रदेश के राजस्व अभिलेखों के सर्वेक्षण, रखरखाव एवं आधुनिकीकरण हेतु अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। प्रश्नगत प्रकरण प्रशासकीय विभाग के माध्यम से मंत्रिमंडल के अनुमोदनार्थ / अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही–राजस्व विभाग / सूचना प्रौद्योगिकी)

बैठक में योजना के अवस्थापना, सुविधाओं, कर्मचारीवृंद, उपकरणों एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श किया गया, जिसमें भू–अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण एवं Digitization के पंजीकरण को सरलीकरण तथा पंजीकरण से परस्पर समन्वय पर भी विचार–विमर्श किया गया। उक्त बैठक में इस योजना के सफल संचालन उक्त समितियों के गठन के उपरान्त परियोजना के प्रारम्भ किये जाने हेतु उपरोक्त की प्रगति के साथ विचार–विमर्श किया जायेगा। बैठक के कार्य बिन्दुओं तथा अन्य प्रासंगिक बिन्दुओं के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि शासी निकाय कार्यकारी समिति तथा P.I.U के पुनर्गठन के उपरान्त P.I.U द्वारा कार्यक्रम में कार्य प्रारम्भ किये जाने पर ही यथाशीघ्र अग्रिम दिशा–निर्देशों हेतु तद्समय परिस्थितियों में विचार–विमर्श किया जायेगा।

(कार्यवाही राजस्व–परिषद)

अंत में सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व विभाग,
पत्रांक– 1123/पी0एस0/ए0एस0/रा0/2015
देहरादून : दिनांक– 27 जुलाई, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
(2) स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
(4) स्टॉफ आफिसर, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड।
(5) सम्बन्धित प्रतिभागीगण।
(6) निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
(7) राजस्व अनुभाग–1, 2 तथा 3 उत्तराखण्ड शासन।
(8) विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।